

फर्द अहकाम

कार्य सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी

हाशतसिंह




विपक्षी

बोरसिंह

किस्म मुकदमा

212 RTI Act

पत्रावली संख्या 93/17 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>20/6/25 तकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-वारिस काममी लिखे मौका चाहते है। अतः एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 5/9/25 को पेश हो।  (SDO) मावली</p> <p>8/09/25 पत्रावली आज पेज हुई। दिनांक 05/09/25 से 07/09/25 तक अवकाश होने से पत्रावली आज पेज हुई। अधि. द्वारा वारिस काममी का मौका चाहा। पत्रावली वास्तव वारिस काममी दिनांक 19/9/25 को पेज हो। </p> <p>19/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान सप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 27/10/25 को पेश हो। </p>	



27/10/25

पत्रावली फेर डूई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार आवाने फिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। प्रार्थी को वारिस कायमी हेतु लगभग 6 वर्ष से अधिक का समय दिया गया था परन्तु प्रार्थी द्वारा अब तक वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। क्षान भी स्वयं प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम लजरी अदम पैरबी में खासि किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार लेकर नम्बर से कम है।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) कपली